

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एन-55/90आर)/अलेसे-11/

दिनांक : 21 MAR 2017

कार्यालय आदेश

श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 64 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा द्वारा एसीबी प्रकरण में अशियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के फलस्वरूप तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलम्बित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

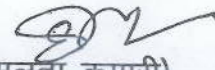

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एन-55/90आर)/अलेसे-11/ 2500

दिनांक :- 21.03.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, पाली।
2. उपनिदेशक, एसीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु/पीआईएस।
3. श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलम्बित) मुख्यालय-कोषाधिकारी, पाली।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/ए.सी.पी/निजी/रक्षित पत्रावली।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)